

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

क्रमांक-एक / स्था. 1 / 29 / 2016 /

भोपाल, दिनांक

आदेश

इस प्रशासन के आदेश पृष्ठ क्रमांक एक / स्था / 1 / 2005 / 788 दिनांक 10.2.2015 में
आंशिक संशोधन करते हुये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन हेतु प्रशासन
के निम्न लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर नियुक्त किया जाता
है:-

विभागाध्यक्ष स्तर

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पद
1.	श्री रजनीश चौधरी, औषधि निरीक्षक (अनुज्ञापन प्राधिकारी)	लोक सूचना अधिकारी
2.	श्री रजनीश चौधरी, औषधि निरीक्षक (अनुज्ञापन प्राधिकारी)	नोडल अधिकारी
3.	श्रीमती मयंका खरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,	सहायक लोक सूचना अधिकारी
4.	संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश	प्रथम अपीलीय अधिकारी

जिला स्तर हेतु आदेश यथावत रहेगा।

नोट:- लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत प्रथम अपीलीय
अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग
को की जा सकेगी।

(नियंत्रक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

पृ० क्रमांक-एक / रथा. १ / २९ / २०१६ / **३०७३**

भोपाल, दिनांक **१९-८-२०२०**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
4. वरिष्ठ औषधि निरीक्षक / वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधिकारी / समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी.भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार इस प्रशासन की बैबसाइट पर अंकित करें।

1
संयुक्त मिशनक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश